



वित्त मंत्रालय

मुख्य जीएसटी आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) के कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण, 'विभाग का कोई भी अधिकारी अनुमति के बिना व्यापारियों और दुकानदारों के परिसरों का दौरा करने के लिए अधिकृत नहीं है ; कोई भी कठिनाई होने पर फोन नंबर 011-23370115 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं'

Posted On: 08 JUL 2017 4:57PM by PIB Delhi

मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की जानकारी दी गई है कि कुछ अवांछित तत्वों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर जीएसटी के नाम पर दुकानदारों और ग्राहकों से पैसा ऐंठने की कोशिश की है। मुख्य जीएसटी आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) के कार्यालय की ओर से यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग संक्रमण काल में केवल दुकानदारों और व्यापारियों को सहूलियत देना चाहता है। विभाग का कोई भी अधिकारी अनुमति के बिना व्यापारियों और दुकानदारों के परिसरों का दौरा करने के लिए अधिकृत नहीं है। कोई भी कठिनाई होने पर केन्द्रीय राजस्व भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली में फोन नंबर 011-23370115 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वीएल/आरआरएस/एसएस- 2009

(Release ID: 1494889) Visitor Counter : 7

